


अपना CKYC नम्बर

अपने बैंक, वित्तीय संस्थान,
म्यूचुअल फंड, इंशुरन्स कम्पनी
से प्राप्त करें.

और पायें भविष्य में
KYC दस्तावेज़ों से छुटकारा.



RBI/IRDA/SEBI/PFRDA द्वारा नियमित संस्थान जैसे कि बैंक, वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड, इंशुरन्स कम्पनी, पेंशन निधि में खाता खोलने के मात्र 10 दिनों के भीतर आपके सभी KYC विवरण CKYC रिकॉर्ड रजिस्ट्री में अपलोड कर दिए जाते हैं और खाताधारक को एक विशिष्ट CKYC नम्बर दिया जाता है।

यह CKYC नम्बर आप अपने बैंक, वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड, इंशुरन्स कम्पनी, पेंशन निधि से प्राप्त कर सकते हैं।* (*केवल उन्ही खातों के लिए जो की 15 जुलाई 2016 या उसके उपरांत खोले गये हों। इस तिथि से पूर्व खोले गये खातों के खाताधारकों का CKYC नम्बर KYC नवीनीकरण कराए जाने पर प्राप्त होगा।)

भविष्य में आप KYC के प्रमाण के रूप में CKYC नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। अपने KYC दस्तावेज़ों को बार बार लेकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं।

अपना CKYC नंबर अपने बैंक, वित्तीय संस्थान, म्यूचुअल फंड, इंशुरन्स कंपनी के अलावा किसी से साझा न करें।

अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें
www.ckycindia.in



टॉवर-1, ऑफिस ब्लॉक, चौथी मंजिल, प्लेट-ए,
एनबीसीसी, किदवई नगर (पूर्व), नई दिल्ली-110023

भारत सरकार की एक कम्पनी

फ़ॉलो करें

